समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी : पाकिस्तानी जासूसी और चीन कनेक्शन से खलबली।

Publisher
Published on 19 May 2025

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप, पाक खुफिया एजेंसियों से थी संपर्क मे।

हरियाणा की ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को **पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों (PIO)** के लिए **जासूसी करने** के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
16 मई 2025 को गिरफ्तार हुई ज्योति को **5 दिन की पुलिस** हिरासत में भेजा गया है।

पाकिस्तान के साथ-साथ चीन से भी जुड़ा है कनेक्शन
१. पुलिस जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा न सिर्फ तीन बार पाकिस्तान गई, बल्कि एक बार चीन की यात्रा भी कर चुकी है।
२. चीन वीजा के लिए आवेदन करते समय उसने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसे अब सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

पाक उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क मे थी ज्योति
एसपी शशांक सावन ने बताया कि ज्योति की मुलाकात **एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश** से साल 2023 में **पाकिस्तानी दूतावास** में हुई थी।
१. दानिश वही अधिकारी है जिसे भारत ने “persona non grata” घोषित कर देश से निष्कासित किया है।

२. उसी ने ज्योति को पाकिस्तान में रहने की व्यवस्था करवाई और वहां एजेंट्स से मिलवाया।

सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था 'नैरेटिव वॉरफेयर'

१. ज्योति के यूट्यूब चैनल 'Travel with JO' और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं।

२. पुलिस के अनुसार, वह **पाकिस्तानी नैरेटिव को सोशल मीडिया पर बढ़ावा** दे रही थी।

३. एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अब **सॉफ्ट नैरेटिव वॉरफेयर** के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

इनकम और खर्च मे भारी अंतर, विदेशी फंडिंग का शक

१. पुलिस ने बताया कि ज्योति की **कमाई और खर्च** में भारी अंतर है।

२. **बाहरी फंडिंग** का शक जताया गया है।

३. उसकी **ट्रैवल हिस्ट्री, बैकं ट्रांजैक्शन, मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच** जारी है।

कानूनी धाराएं और अब तक की कार्रवाई

१. ज्योति को **गोपनीयता अधिनियम** और **भारतीय दंड संहिता** की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

२. कोर्ट में पेश करने के बाद उसे **5 दिन की पुलिस रिमांड** पर भेजा गया।

३. **पुलिस अन्य यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स** की भी जांच कर रही है जो पाकिस्तानी एजेंसियों से संपर्क में हो सकते हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.